विज्ञान की अहमियत समझें मुस्लिम महिलाएं

अलीगढ़ : एएमयू के फिजिक्स विभाग की ओर से इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ मुस्लिम वूमेन इन साइंस (आइएसएमडब्लूएस) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनोविज्ञान विभाग की सेवानिवृत प्रो. हमीदा अहमद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को विज्ञान की अहमियत को समझ हुए बच्चों की भी विज्ञान की शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहिए। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से आईं आइएसएमडब्लूएस की संस्थापक प्रो. सुल्ताना नाहर ने कहा कि पुरुषों के समान नारी में भी कार्य करने की तमाम क्षमताएं मौजूद हैं। फिजिक्स विभागाध्यक्ष प्रो. एम अफजाल अंसारी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का साइंस में रुझान बढ़ रहा है, यहां की छात्रा खुशबू मिर्जा चंद्रयान पर जाने वाले दल में शामिल थी। संचालन जंतु विज्ञान विभाग की प्रो. कुदसिया तहसीन ने किया।

महाभोज का करें परित्याग त्रयोदशी संस्कार का नहीं

अलीगढ़ : राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के महामंत्री नरेंद्र देव कौशल ने कहा कि समाज में त्रयोदशी पर महाभोज का बहिष्कार होना चाहिए, त्रयोदशी का नहीं। भ्रम फैल रहा है कि यह प्राचीन परंपरा खत्म हो रही है। नरेंद्र देव ने अपील की कि 13 ब्राह्मण व यज्ञ, परीवारीजन व रिश्तेदारों तक ही सीमित रखें।

एएमयू का सौदा कर रहे हैं कुछ लोग

अलीगढ़ : एएमयू में बिजनौर सांसद कुंवर भारतेंदु को बुलाने को लेकर छात्रों के अलग-अलग राय निकल कर आ रही है। कुछ छात्र बुलाने के पक्ष में तो कुछ इसके विरोध में। एएमयू में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र आसिफ सलाम ने कहा कि भाजपा सांसद भारतेंदु ने कुलपति जमीर उद्दीन की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कराकर गलत नहीं किया है। ऐसे में उनका एएमयू में स्वागत करना चाहिए। एलान किया हम अपने साथियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। कहा कि एएमयू के अंदर बैठे कुछ लोग यूनिवर्सिटी का सौदा कर रहे हैं।

संविदा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई

◆ स्थाई नौकरी व समान वेतन की मांग, सीएमओ दफ्तर पर धरना

अलीगढ़ : लंबित समस्याओं व लखनऊ में पुलिस लाठी चार्ज के विरोध में संविदा कर्मियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। सीएमओ ने एसोसिएशन को अवैध मानते हुए अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले भर में तैनात संविदा कर्मचारी सीएमओ दफ्तर पर इकट्ठा हुए। कर्मचारियों ने बताया कि जिला स्तरीय अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी व एचपीडी पर अफसरों ने हाजिरी के रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए और किसी को भी उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी। वापस न लौटने पर संविदा समाप्ति की चेतावनी दी गई। अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि स्थानीय अधिकारी उन्हें हड़ताल से रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

महामंत्री साधना सिंह ने कहा कि लाठी-चार्ज निंदनीय है। डीपीएम महेंद्र प्रताप, डॉ. ताजुद्दीन, विश्वदीप, अरुण शर्मा, चंद्रवीर सिंह, नसीम अहमद, केसी शर्मा आदि ने विचार रखे।

सीएमओ ने झाड़ा पलड़ा : करीब तीन बजे सीएमओ डॉ. एके रॉय कार्यालय में पहुंचे उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि शासन स्तर के मामले में कर्मचारी वापस काम पर लौट आएं। ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों ने बुधवार को भी हड़ताल जारी रखने का एलान किया।

अध्यक्ष को चेतावनी और नोटिस : नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष व डाटा इंट्री ऑपरेटर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को सुबह ही सीएमओ की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस में उनके पूछा गया कि अनुबंध का उल्लंघन करने पर क्यों न उनकी संविदा समाप्त कर दी जाए। तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि नोटिस का जवाब भेज दिया जाएगा।

लखनऊ में हुई बर्बरता : लखनऊ में पुलिस लाठी चार्ज में चोटिल हुईं शुमायला व रूहीन (गौंडा), जिला लेखा प्रबंधक प्रदीप कुमार, हैरी (बन्ना देवी पीएचसी), रजिया (जवां) ने बताया कि पुलिस ने पूरी बर्बरता दिखाई।

राजनेताओं का भी समर्थन : करीब एक बजे जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे। कहा कि कर्मचारियों की समस्त मांगें जायज हैं। रालोद के पूर्व विधायक सतपाल सिंह व जिलाध्यक्ष कल्याण सिंह भी धरना स्थल पर आए।

"स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की काफी कमी है। कम संसाधन होने के बावजूद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अलीगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमी है।

-डॉ. एके रॉय, सीएमओ।

उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

वेब साईट : www.neda.up.nic.in Email:ho.aks@rediffmail.com

यूपीनेडा प्रशिक्षण केन्द्र, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ 226010 द्वारा दिनांक: 28 फरवरी, 2016 को दैनिक जागरण के समस्त संस्करण, टाइम्स आफ इण्डिया, लखनऊ में प्रकाशित टेण्डर संख्या: **03/UPNEDA/RTC/ FUR./2016** को उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर दिनांक: 19 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है।

निदेशक, यूपीनेडा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया

पत्रांकः विज्ञान/गणित/8068-70/2015-16/ दिनांकः 15.03.16

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या- 1682/79-5-2015(04)/13 दिनांक 17 जून, 2015, एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद के पत्रांक सं.: बे.शिप./15641-15885/2015-16 दिनांक 07.01.2016 एवं पत्रांक सं.: बे.शिप./20189-368/2015-16 दिनांक 26.02.2016 के अनुपालन में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित के सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत 82 अंक के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग दिनांक 18 से 20 जनवरी 2016 एवं 80 व 09 मार्च- 2016 को करायी है जनपद की नियुक्ति सम्बधी निर्गत कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अर्ह अभ्यर्थी जिन्होंने अपने मूल अभिलेख जमा नहीं किये हैं वे दिनांक 16.03.2016 को समय 11.00 बजे स्थान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया पर अपने मूल अभिलेख जमा करने तथा महिला अभ्यर्थी विद्यालय के विकल्प भरने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें, शेष पुरुष अभ्यर्थियों को रोस्टर के अनुसार विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया — कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु) (नियम 8(1)

प्रधान कार्यालय : 11, हेमन्त बासु, सरंणी, कोलकता-700001

क्षेत्रीय कार्यालयः 80/1, कर्मिशियल काम्पलैक्स, मंगल पांडे नगर, मेरठ – 250004 फोन नं. 0121-2600624, 2600724

जबकि अधोहस्ताक्षरी **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने उल्लेखित तिथियो को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/जमानतदार द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 व 9 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है । उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों के साथ कोई सौदा न करें और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखाः अलीगढ़** के प्रभारों के अधीन होगा।

क्र0 सं0	ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जा नोटिस की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1.	1. मैसर्स पंडित रेडीमेड गारमेंटस, प्रो0 श्री प्रेम प्रताप शर्मा, ग्राम जवान, पोस्ट सिकन्दरपुर, अलीगढ़, उ0प्र0 2. श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री मुंशी लाल, निवासीः बजगढ़ी देवथाला रोड, अलीगढ़ उ0प्र0 3. श्रीमती प्रवेश कुमारी पत्नी श्री प्रेम प्रताप शर्मा, ग्राम जवान, पोस्ट सिकन्दरपुर, अलीगढ़, उ0प्र0	10.07.2014 रू0 **14,36,320.00** (रूपये चौदह लाख छत्तीस हजार तीन सौ बीस केवल)	10.03.2016	बंधक सम्पत्ति भूमि व भवन स्थित खसरा नं0 1010 व 1011का भाग, ग्राम जवान, पोस्ट सिकन्दरपुर, तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उ0प्र0, माप 102 वर्ग मीटर व सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती प्रवेश कुमारी पत्नी श्री प्रेम प्रताप शर्मा। सीमायेंः-(शीर्षक विलेख के अनुसार): पूर्वः अन्य की सपत्ति, पश्चिमः श्रीमती प्रवेश कुमारी का मकान, उत्तरः राधेश्याम का प्लाट, दक्षिणः रास्ता 10मीटर चौडा
2.	1.राम निवास शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा, निवासीः आर.के. पुरम, निकट एडीए पुलिस-चौकी, सासनीगेट अलीगढ़ (उ0प्र0), 2. श्री ब्रिजेश शर्मा पुत्र श्री राम निवास शर्मा, निवासीः आर.के. पुरम, निकट एडीए पुलिस-चौकी, सासनीगेट अलीगढ़ (उ0प्र0)	04.01.2016 रू0 **3,41,058/-** (रूपये तीन लाख इकतालिस हजार अठ्ठावन केवल)	10.03.2016	सम्पत्ति स्वामी श्री ब्रिजेश शर्मा पुत्र श्री राम निवास शर्मा स्थित मकान खसरा नं0 145/2 का भाग, मौजा पाला साहिबाबाद, परगना व तहसील कोली, अलीगढ़ (उ0प्र0) सीमायेंः- पूर्वः श्री विजय बहादुर का प्लाट, पश्चिमः अन्य का प्लाट, उत्तरः श्री कंचन का मकान, दक्षिणः रास्ता
3.	1. मैसर्स स्नेह इंटरप्राइसेज प्रो0 श्री गौरव शर्मा, पताः आर.के.पुरम-1, निकट एडीए पुलिस-चौकी, सासनीगेट अलीगढ़ (उ0प्र0), 2. श्री गौरव शर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रियादर्शन शर्मा, निवासीः आर.के. पुरम-1, निकट एडीए पुलिस-चौकी, सासनीगेट आगरा रोड, अलीगढ़ (उ0प्र0), 3. श्रीमती स्नेह लता शर्मा पत्नी स्व0 श्री प्रियादर्शन शर्मा, निवासीः आर.के. पुरम-1, निकट एडीए पुलिस-चौकी, सासनीगेट अलीगढ़ (उ0प्र0)	04.01.2016 रू0 **831783/-** (रूपये आठ लाख इकत्तीस हजार सात सौ तिरासी केवल)	10.03.2016	सम्पत्ति स्वामी श्रीमती स्नेह लता शर्मा प्लाट खसरा नं0 145/2 का भाग, पाला साहिबाबाद, परगना व तहसील कोइल (नया आर0के0पुरम) निकट आगरा रोड, जिला अलीगढ़। सीमायेंः- (शीर्षक विलेख के अनुसार): पूर्वः सक्सेना, पश्चिमः श्री मुकेश शर्मा का मकान, उत्तरः रास्ता 20 फीट, दक्षिणः श्री सुखबीर शर्मा का प्लाट

दिनांकः–15.03.2016 स्थानः अलीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

पत्रांक : बेसिक/ 18945-48/ 2015-16 दिनांक 15.03.2016

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 2651(1)/ 79-5-12-1(04)/13 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई 2013 में निहित प्रावधानों एवं सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के कार्यालय पत्रांक बे0शि0प0/ 20189-368/ 2015-16 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/ गणित विषय के सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) (नियमावली 2008 यथा संशोधित) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों जिन्होंने दिनांक 18.01.2016 से 20.01.2016 एवं 08.03.2016 से 10.03.2016 के मध्य अपने मूलप्रमाण पत्र जमा कर दिए है। वह विकलांग पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थी विद्यालय विकल्प चयन हेतु दिनांक 18.03.2016 को प्रातः 11 बजे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शंकुल भवन सकीट रोड एटा पर उपिस्थत हों अभ्यर्थन निरस्तीकरण का शपथ पत्र प्रस्तुत करके मूल अभिलेख वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल अभिलेख वापस लिए जा चुके है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए अभिलेखों की छायाप्रति जमा करके काउंसलिंग कराई गई उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेख दिनांक 17.03.2016 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शंकुल भवन सकीट रोड एटा में जमा करा दें यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय से मूल अभिलेख जमा नहीं किये जायेंगे। तो उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। विकलांग पुरुष महिला अभ्यर्थी अपना विकलांगता प्रमाण पत्र तथा निर्धारित प्रारूप पर शपथपत्र पत्रावली में संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

(एस.एस. यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

SHAHEED HASAN KHAN MEWATI GOVT. MEDICAL COLLEGE. NALHAR, NUH (MEWAT)

PUBLICE NOTICE

The interview for two (02) posts of Physiotherapist (Direct Recruitment)

The interview for two (02) posts of Physiotherapist (Direct Recruitment) will be held on:-

Date: 30th and 31st March 2016 (Wednesday & Thursday).
Time: 09:00 AM onwards.
Venue: SHKM Govt. Medical College, Nalhar (Mewat).

The candidates who have appeared for the screening test held on 06 December 2015 at College of Nursing, PGIMS, Rohtak are hereby directed to appear for the above said interview. The roll numbers will be the same as issued by controller of examination University of Health Science, Rohtak for the screening test. No separate admit card or any other personal intimation may be issued for this interview to the candidates.

The candidates are advised to bring their admit cards, proof of identity (i.e. Aadhar card/Voter ID/Driving license/Passport etc.) along with all the original documents pertaining to the eligibility, basic qualification or any other qualification, experience etc. Appearing in the interview will not declare the candidate eligible for the post, the final eligibility will be decided after the verification of the original documents.

The details can be downloaded from the website of SHKM Govt. Medical College, Nalhar (Mewat) www.gmcmewat.ac.in.

PRDH-35356 **DIRECTOR**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस

विज्ञप्ति

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ.प्र. लखनऊ के पत्रांक-03/एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आयुष/एच.आर./2015-16 दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संविदा आयुष फार्मासिस्टों की दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के लिए कार्य करते हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नलिखित संविदा पदों पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण	मानदेय	शैक्षिक योग्यता/अनिवार्य योग्यता
1.	आयुष फार्मासिस्ट	05	नियमानुसार आरक्षण लागू	9000.00	आयु/यूनानी विद्या के फार्मासिस्ट का पंजीकरण भारतीय चिकित्सा परिषद लखनऊ में होना अनिवार्य एवं समस्त विधाओं में कार्य अनुभव 2 वर्ष

आवेदन दिनांक 21.03.2016 तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

नोट : आवेदन का प्रारूप तथा नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

पत्रांक : मु.चि.अ./आयुष फार्मा./संविदा/2015-16/926 दिनांक 14.03.2016

दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त (डी)
वरूणालय फेज-II, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

दिल्ली जल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण द्वारा जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद भरना

आवेदन जमा की अंतिम तिथि 31.03.2016 है

विभिन्न समाचार पत्रों में 04.09.2015 को और 12 से 18 सितम्बर, 2015 के एम्प्लायमेंट न्यूज (रिक्ति सं. 2015-16/290) में प्रकाशित पूर्व रिक्ति के संदर्भ में, आरंभ में एक वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, पीबी-3 रु. 15600-39100 सहित ग्रेड पे रु. 6600/- में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद भरने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एतद्द्वारा दिनांक **31.03.2016** तक बढ़ाई जाती है। जो पहले आवेदन कर चुके हैं, पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

विशेष जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.delhijalboard.nic.in** देखें।

पीआरओ (जल) द्वारा जारी (यू.बी. त्रिपाठी)
वि.सं.ज.सं.वि. 2015-16/738 निदेशक (प्रशासन और कार्मिक)

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र

(मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय)
जक्कूर, बेंगलूरु 560064

अनुसंधान प्रवेश 2016-2017

एमएस/पीएचडी कार्यक्रम :
जनेउवैअकें, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (साइंस एवं इंजीनियरिंग) में MS/Ph.D कार्यक्रम में प्रवेश के लिये CSIR/UGC/DBT/ICMR/INSPIRE के अधीन JRF परीक्षा में अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों तथा GATE/JEST/GPAT में अर्ह विद्यार्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है।

समेकित पीएचडी कार्यक्रम :
जनेउवैअकें के पदार्थ विज्ञान, रासायनिक विज्ञान तथा जैविकीय विज्ञान में समेकित पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित करता है।

उपरोक्त सभी समेकित पीएचडी कार्यक्रमों के लिये अभ्यर्थियों के पास स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इस वर्ष स्नातक उपाधि की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) की परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थी भी हमारे वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अर्हता मानदंड, अधिसदस्यता सूचना-शीट तथा ऑनलाइन आवेदनों के विस्तृत सूचनाओं के लिये हमारी वेबसाइट **www.jncasr.ac.in/admit** देखें।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

पत्रांक : बेसिक/ 18949-52/ 2015-16 दिनांक 15.03.2016

विज्ञप्ति

सचिव उ.प्र. बेसिक परिषद इलाहाबाद के पत्र संख्या बे.शि.प्र./20885-21055/ 2015-16 दिनांक 23.02.2016 के क्रम में जनपद एटा में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अंतर्गत नियुक्त तृतीय बैच के ऐसे प्रशिक्षु शिक्षक जिनका 06 माह का विशेष प्रशिक्षण (03 माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का क्रियात्मक) पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 22.01.2016 से 03.01.2016 को आयोजित परीक्षा का घोषित परीक्षा फल दिनांक 23.02.2016 के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षकों (तृतीय बैच) की मैलिक नियुक्ति की जानी है। समस्त अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मूलरूप में तथा अपने सभी मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित दो छायाप्रति फोटो नोटेरी शपथपत्र (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य सेवा में न होने का उल्लेख हो, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने की सहमति का उल्लेख हो) एवं जनपद में मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करने संबंधी साक्ष्य सहित उपस्थित हों अन्यथा अभ्यर्थी स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा बाद में अभ्यर्थन निरस्त अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त मौलिक नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) अध्यापक सेवा नियमावली 2008 (यथा संशोधित) एवं प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 हेतु जारी विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अंतर्गत होगी। अतः समस्त अभ्यर्थी दिनांक 19.03.2016 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शंकुल भवन सकीट रोड एटा पर समय 11 बजे काउंसलिंग में उपस्थित हों। महिला विकलांग /पुरूष विकलांग/ महिला अभ्यर्थियों से तैनाती हेतु विद्यालयों के विकल्प दिनांक 21.03.2016 को प्रातः 10 बजे प्राप्त किये जायेंगे। मौलिक नियुक्ति पत्रों का वितरण विकल्प भरवाये जाने के एक सप्ताह बाद सम्पूर्ण औपचारिकताओं तथा जनपद स्तरीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(एस.एस. यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 3116/79-5-14(10)/2010 शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 27 सितम्बर 2011, शासनादेश संख्या 3465/79-5-2014-14(10)/2010 टी0सी0 दिनांक 27 जून 2014, शासनादेश संख्या 3505/79-5-2014-14(10)/2010 टी0सी0 दिनांक 01.07.2014, शासनादेश संख्या 3599/79-5-2014-14(10)/10 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11.07.2014 तथा मानीयय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1874-1902/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014, विशेष अपील संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2013 विशेष अपील संख्या 4347-4375/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.12.2014 एवं सचित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे0शि0प0/18189-18356/2015-16 दिनांक 05.02.2016 एवं मा0सर्वो0 न्यायालय में योजित सिविल याचिका संख्या-4357-4375/2014 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम शिव कुमार पाठक व अन्य में दिनांक 07.12.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में 12091 अभ्यर्थियों में कट आफ मेरिट के ऊपर चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की अष्टम चयन सूची के आधार पर तैनाती/पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी दिनांक 17.03.2016 को विकास भवन गाजीपुर परिसर में प्रातः 11.00 बजे से समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख यथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/ विकलांग प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र /फोटो एवं पता युक्त पहचान पत्र/फोटो युक्त रूपया 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (जिसमें अभ्यर्थी का नाम पता एवं समस्त अभिलेखों की सत्यता, कूट रचित फर्जी अथवा किसी प्रकार का तथ्यगोपन पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ साथ विधिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख हो) के साथ-साथ समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां एक फाइल कवर में संलग्न करते हुए सम्बन्धित पटल पर जमा करें। मूल अभिलेख व अन्य पत्रावली जमा करने के उपरान्त मूल अभिलेख जमा करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 19.03.2016 को प्रातः 11.00 बजे विकास भवन स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से पदास्थापन/तैनाती पत्र प्राप्त कर पदास्थापित विद्यालय में वितरण की तिथि से 21 दिन के अन्दर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित तिथि को मूल अभिलेख जमा कर तैनाती/पदस्थापन आदेश प्राप्त न करने तथा आदेश प्राप्ति के उपरान्त आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अष्टम् चयन सूची को जनपद की वेबसाइट www.ghazipur.nic.in पर देखा जा सकता है।

वर्ग/श्रेणी	कट आफ मेरिट	कट आफ जन्मतिथि	वर्ग/श्रेणी	कट आफ मेरिट	कट आफ जन्मतिथि
महिला अनुसूचित जाति कला	91	06-06-1987	पुरूष अनुसूचित जनजाति कला	109	15-05-1986
महिला पिछड़ा वर्ग कला	102	02-02-1987	पुरूष पिछड़ा वर्ग कला	113	06-12-1986
महिला पिछड़ा वर्ग विज्ञान	97	01-05-1990	पुरूष अनुसूचित जाति विज्ञान	97	05-03-1980
महिला चलनद्वास	94	10-09-1988	पुरूष पिछड़ा वर्ग विज्ञान	111	17-06-1973
पुरूष अनुसूचित जाति कला	103	01-01-1982	पुरूष स्वतंत्रता सेनानी आश्रित	97	10-07-1989

(चन्द्रकेश सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

पत्रांक-41311-12/2015-016 दिनांक 15.03.2016

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़

विज्ञप्ति

सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक/बे.शि.प./बे.शि.प./20885-21055/ 2015-16 दिनांक 03.03.2016 के अनुपालन में जनपद अलीगढ़ में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे प्रशिक्षु शिक्षक जिनका 6 माह का विशेष प्रशिक्षण (03 माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का क्रियात्मक) पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 की दिनांक 22.01.2016 से दिनांक 23.01.2016 को आयोजित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 23.02.2016 को घोषित किये जाने के उपरान्त, परीक्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर चुके हैं, की मौलिक नियुक्ति हेतु समस्त अर्ह महिला/विकलांग (पुरुष/महिला) प्रशिक्षु शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु **काउन्सिलिंग दिनांक 16.03.2016 को प्रातः 10.00 बजे से** कार्यालय **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़** निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय **एलमपुर प्रांगण सूतमील जी.टी. रोड अलीगढ़ में होगी।** अतः सम्बंधित अर्ह महिला/ विकलांग (पुरुष/महिला) प्रशिक्षु शिक्षक स्वयं विकल्प भरने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त काउन्सिलिंग में समस्त अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित दो छायाप्रति, जनपद में मूल अभिलेख जमा करने सम्बंधी साक्ष्य/मूल अभिलेख तथा 01 फोटोयुक्त शपथ पत्र जो इस आशय का हो कि अभ्यर्थी किसी अन्य सेवा में नहीं है। निर्धारित तिथि व स्थल पर उपस्थित न होने की दशा में आपका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा बाद में आपके अभ्यर्थन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

संजय कुमार शुक्ल
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

पत्रांक/20653-54/2015-16 दि. 15.03.2016

कार्यालयः मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय हाथरस

विज्ञप्ति

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-19फ/2015/टी.सी.-112/315 दिनांक 01.02.2016 के अनुपालन में प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जन सामान्य को सुचारू रूप से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु नर्सिंग सवर्ग के कार्मिकों के सेवानिवृति उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक स्टाफ नर्स के पद पर पुर्नयोजित किये जाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत स्टाफ नर्सों से जिला महिला चिकित्सालय हाथरस में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	पद का नाम	आयु सीमा	पदों की संख्या	मानदेय
01	स्टाफ नर्स	65 वर्ष तक	3	अन्तिम प्राप्त वेतनमान

आवेदन पत्र सादा कागज पर तैयार कर दिनांक 26.03.2015 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकते हैं एवं लिफाफे पर पदनाम अवश्य अंकित किया जाये। आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र/कोई भी आयु सम्बंधी प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षिक योग्यताओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रारूप

आवेदित पद का नाम- स्टाफ नर्स

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि (हाईस्कू